न्यायालय भू - प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा - पत्र

उनवान

गणपत बनाम देवीलाल

किस्म मुकद्दमा धारा-225 मि० नं० 139/2017 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री सी॰ पी॰ खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री बी॰ एल॰ माहेश्वरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19-3-21	पत्रावली कोर्ट कैम्प झालावाड़ पेश हुई। अभिभाषक रेस्पोडेंट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अपील में रेस्पोडेंट गण की तलबी आदिनांक तक नहीं करवाई गई है। अतः रेस्पोडेंट गण की तलबी नहीं कराये जाने के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी तथा अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (महेन्द्र लोढा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	अदम तकमील खारिज

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन आर ए. ए., कोटा

गणपत पुत्र शंकर लाल जाति भोई निवासी खेडी मल्हार गंज तहसील गंगधार जिला झालावाड -- अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पिता भैरूलाल जाति भोई
2. राधेश्याम पिता भैरूलाल जाति भोई
3. सुमन बाई बेवा भैरूलाल जाति भोई
   अकवाम निवासीगण सीतामऊ तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश
4. पार्वती बाई पिता उमा जी माता मन्नी बाई पत्नी भीमचन्द जाति भोई निवासी मन्दसौर मध्य प्रदेश
5. केसर बाई पिता उमा जी माता मन्नी बाई पत्नी नानूराम जाति भोई निवासी बसार तहसील प्रतापगढ जिला प्रतापगढ
6. रामकुंवर बाई पिता उमा जी माता मन्नी बाई पत्नी गोविन्दराम जाति भोई निवासी रामपुरा तहसील रामपुरा जिला नीमच मध्य प्रदेश
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार जिला झालावाड

-- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.05.17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार

प्रकरण संख्या 1109 / दावा / 2016

बउनवान देवीलाल बनाम गणपत

अन्तर्गत धारा 225 राज. टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपील अवधि मध्य निम्न कारणो से पेश है:-

1. यह कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एव न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 / वादीगण ने एक वाद बाबत घोषणात्मक पेश कर निवेदन किया था कि ग्राम